2/00



## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांकः एफ. 14(PHED)2016/एफसीए/प्रमुवसं/2 & 4 9

दिनांक 6.10 .21

शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

विषय:— डायवर्जन ऑफ 3.8122 हैं0 (चित्तौगढ 1.5092 हैं0 एण्ड एम एन पी कोटा 2. 303 हैं0) फोर कन्स्ट्रक्शन ऑफ भैसरोडगढ गौराव वाटरसप्लाई प्रोजेक्ट टूं 38 विलेजस एण्ड 27 अंदर ढाणीज ऑफ भैसरोडगढ पंचायत समिति जिला चित्तौगढ। (प्रस्ताव सं. FP/RJ/WATER/17698/2016)

संदर्भ:— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) लखनऊ का पत्र क्रमांक 8बी/राज/08 /28/2018/एफसी/460 दिनांक 11.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के द्वारा चाहे गए बिन्दुओं पर

आवश्यक सचना निम्नानुसार हैं:--

S.N.:	श्यक सूचना निम्नानुसार ६.— Observation	Reply
1	As per GIS DSS analysis original Survery of India toposheets have not been submitted and proposal NFL for compensatory afforestation in less in extent by 0.0122 ha.	After scanning the original survey of India toposheets and super imposing the project details on the scanned toposheets with geo referring, final printed copy (for hard copy of the proposal) and scanned copy (for online submission) was submitted and balance NFL for compensatory afforestation (0.0022 ha.) is enclosed.
2	Lease period for diversion has been mentioned as 100 years which is incorrect.	Lease period for diversion has been corrected in the proposal.
3	Signature of authority on behalf of user agency have not been authenticated.	of user agency is enclosed.
4	Undertakings submitted by user agencies do not carry title and proposal number.	Revised undertakings are submitted.

उक्तानुसार प्राप्त सूचना दो सैट में प्रेषित कर निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, लखनऊ को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. गोबिन्द सागर भारद्वाज) अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,

राजस्थानं, जयपुर।

क्रमांकः एफ. 14(PHED)2016 / एफसीए / प्रमुवसं / 2 रिंड 52 प्रितिलिपि: – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं: –

1. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।

उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ़।
अधिशासी अभियंता अभियन्ता जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड चित्तौगढ

शास्त्री नगर चित्तौगढ-312001

(भवानी सिंह) उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन, जयपुर

79